न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

प्रभु बनाम सरकार राज०

प्रा० पत्र सं. 300/2018

15/3/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। परोकार सरकार एवं वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2018 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम मोठूका स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मोठूका स्थित भूमि खसरा नंबर 1047 रकबा 0.18 है0 की प्रार्थी, अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 15.06.2018 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)